समक्ष :– न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/हरदा/भू-रा/2017/2035

पुनरीक्षण कमांक :– ...... / 2017
प्रस्तुत दिनांक :– 18 मई 2017

हरिराम फूलरे आयु लगभग 70 साल,
आ. स्व.श्री गंगावीशन जी फुलरे,
धंधा किसानी, निवासी ग्राम कमताडा, तह.हरदा,
जिला हरदा म. प्र

............पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

:: ब ना म ::

म.प्र. शासन,
द्वारा तहसीलदार हरदा,
जिला हरदा (म.प्र.)

.....................................उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय है :–

01/ यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के विरूध्द अनावेदक के द्वारा एक राजस्व प्रकरण कमांक 50अ / 68 वर्ष 16–17 अंतर्गत धांरा 248 म.प्र.भू.रा.सं. का आरंभ किया गया जिसमें अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता की और से एक आपत्ति / आवेदनपत्र दिनांक 24 / 04 / 17 को *" बिना तथ्य / आधार / प्रमाण पर संस्थित कार्यवाही समाप्त करने बावत "* प्रस्तुत किया गया एवं आपत्ति ली गई कि यह अतिकमण प्रकरण बिना सीमांकन के प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रचलन योग्य नही है, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हरदा अनावेदक के द्वारा इस आवेदनपत्र पर कोई तर्क सुने बगैर आवेदनपत्र प्रस्तुती दिनांक 24 / 04 / 17 को ही निरस्त कर दिया गया जिससे असंतुष्ट / दुःखी व पीडित होकर यह पुनरीक्षण समय सीमा में पेश की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / हरदा / भू.रा. / 2017 / 2035

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–4–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब के आधार पर ही प्रकरण पटवारी के साक्ष्य हेतु नियत है, किन्तु आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही निरस्त करने हेतु पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक तथ्यों को सही प्रकट करना नहीं चाहता । तहसीलदार द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	